

जाति और भारतीय राजनीति

[THE CASTE AND INDIAN POLITICAL]

परम्परावादी भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना भारतीय राजनीति की एक अद्भुत विशेषता है। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारम्भ होने के पश्चात् यह धारणा विकसित हुई कि पश्चिमी ढंग की राजनीतिक संस्थाएँ और लोकतन्त्रात्मक मूल्यों को अपनाने के फलस्वरूप पारम्परिक संस्था—जातिवाद का अन्त हो जायगा किन्तु स्वाधीनोत्तर भारत की राजनीति में जाति का प्रभाव अनवरत रूप से बढ़ता गया। जहाँ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जाति की शक्ति बढी है वहाँ राजनीति और प्रशासन पर इसके बढ़ते हुए प्रभाव को राजनीतिज्ञों, प्रशासनधिकारियों और केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने स्वीकार किया है।

कतिपय विद्वानों की यह मान्यता है कि लोकतान्त्रिक एवं प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का भारत में लोप हो जाना चाहिए। अन्य कुछ विद्वानों की धारणा थी कि जाति व्यवस्था परम्परागत शक्ति के रूप में कार्य करती है तथा राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक है। इस सम्बन्ध में रजनी कोठारी का अभिमत है कि—प्रथम कोई भी सामाजिक तन्त्र कभी पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकता, अतः यह प्रश्न करना कि क्या भारत में जाति का लोप हो रहा है, अर्थशून्य है।¹ द्वितीय, जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती बल्कि इसको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।² स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार की भूमिका अदा करते हैं जिस प्रकार पश्चिमी देशों में दबाव गुट (Pressure Groups)।³ हमारे राजनीतिज्ञ एक अजीब असमंजस की स्थिति में हैं। जहाँ एक ओर वे जातिगत भेदभाव मिटाने की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर जाति के आधार पर वोट वटोरने की कला में निपुणता हासिल करना चाहते हैं।⁴

जाति का परम्परागत अर्थ एवं रूप

(TRADITIONAL MEANING AND NATURE OF CASTE)

जाति प्रथा किसी न किसी रूप में संसार के हर कौने में पायी जाती है, पर एक गम्भीर सामाजिक कुरीति के रूप में यह हिन्दू समाज की ही विशेषता है। वैसे इस्लाम और ईसाई समाज

¹ Rajni Kothari *Caste in Indian Politics* (Delhi, 1970), p. 4.

² Rajni Kothari *Politics in India*, p. 341

³ Granville Austin *The Indian Constitution—Cornerstone of a Nation* (Oxford, 1966), p. 47.

⁴ "The politicians who want that caste and Communal distinction should disappear is at the same time aware of its vote-catching power and is thus faced with a real dilemma."

भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रह सके। यह व्यवस्था एक अतिप्राचीन व्यवस्था रही है। इसका अभिप्राय पेशे के आधार पर समाज को कई भागों में बाँट देना है। सामान्यतया यह माना जाता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण धार्मिक और वैदिक कार्यों का सम्पादन करते थे। क्षत्रियों का कार्य देश की रक्षा करना और शासन प्रबन्ध करना था। वैश्य कृषि और वाणिज्य सम्हालते थे तथा शूद्रों को अन्य तीन वर्णों की चाकरी करनी पड़ती थी। गुरु-गुरु में जाति प्रथा के बन्धन कठोर न थे और वह जन्म पर नहीं अपितु कर्म पर आधारित थे। बाद में जाति प्रथा में कठोरता आती गयी, वह पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गयी तथा एक जाति से दूसरी जाति में अन्तःक्रिया असम्भव हो गयी। अपने मौलिक रूप में जाति प्रथा उपयोगी थी। चूँकि वह श्रम विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित थी, अतः उसने आर्थिक क्षेत्र में निपुणता के तत्त्व का समावेश किया। एक जाति का पेशा उसी जाति में होता था। बेटा बाप से अपना पुस्तैनी पेशा सीखता था और प्रायः उसी को अपनी आजीविका के साधन के रूप में अपना लेता था। इस प्रथा से एक जाति और विरादरी के लोगों में भाई-चारे की भावना को बढ़ाया। एक जाति के लोग एक-दूसरे से भली-भाँति परिचित होते थे तथा एक-दूसरे के सुख-दुःख में काम आते थे।

✓ प्रो. घुरिये (Ghurye) ने जाति व्यवस्था की छ. विशेषताएँ बतायी हैं, जो इस प्रकार हैं :

- (i) भारत में जाति ऐसे समुदाय है जिसका अपना विकसित जीवन है और इसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है।
- (ii) भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति जानता है और जातियों के पद-सोपान में ब्राह्मण सबसे ऊपर माना जाता है।
- (iii) जातियों के आधार पर खान-पान और सामाजिक आदान-प्रदान के प्रतिबन्ध लगे रहते हैं।
- (iv) गाँवों तथा शहरों में जाति के आधार पर पृथक्ता की भावना बनी रहती है।
- (v) कुछ जातियाँ कतिपय विशेष प्रकार के व्यवसायों को अपना पुस्तैनी अधिकार समझती हैं।
- (vi) जातियों की परिधि में ही वैवाहिक आदान-प्रदान होता है और जातियाँ कई उप-जातियों में विभक्त होती हैं। उप-जातियों में भी वैवाहिक परिसीमाएँ हैं।

जाति का राजनीति से सम्पर्क सूत्र

(POLITICS ATTACHED TO CASTE)

स्वाधीनता संग्राम के दौरान ऐसा दीखता था कि जनता पर जातिवाद का प्रभाव कम हो रहा है किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त जातिवाद ने फिर जोर पकड़ा और बयस्क मताधिकार व्यवस्था के देश में लागू कर दिये जाने के परिणामस्वरूप यह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदित हुआ है। वैसे राजनीति पर जातिगत प्रभाव प्रतिनिधि व्यवस्था के लागू होने के समय से ही शुरू हो गया था किन्तु यह प्रभाव नगण्य ही था। इसके लिए उत्तरदायी थे ब्रिटिश प्रशासन, राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सीमित मताधिकार। स्वतन्त्रता की प्राप्ति ने प्रथम दो कारणों का निराकरण कर दिया और नये संविधान में अपनायी गयी बयस्क मताधिकार व्यवस्था ने तीसरे का। फलतः जातियों के प्रभाव क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हो गयी। आरम्भ में तो सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उच्च अथवा श्रेष्ठ जातियाँ ही राजनीति से प्रभावित रही और राजनीतिक लाभ उन्हीं तक सीमित रहे। समय के साथ-साथ मध्यम और निम्न समझी जाने वाली जातियाँ आगे आने लगी और अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहने लगी। प्रो. रूडोल्फ के

शब्दों में, “भारत के राजनीतिक लोकतन्त्र के सन्दर्भ में जाति वह दुरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों की खोज की जा रही है। यथार्थ में यह एक ऐसा माध्यम बन गयी है कि इसके जरिये भारतीय जनता को लोकतान्त्रिक राजनीति की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है।”¹

जाति का राजनीतिक रूप : रजनी कोठारी का दृष्टिकोण

(POLITICAL DIMENSIONS OF CASTE . RAJNI KOTHARI'S APPROACH)

प्रो. रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक ‘कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स’ (Caste in Indian Politics) में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विवर्णन किया है। उनका मत है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है? इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानो जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएँ हैं। ज्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति-प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति-पाँति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है? जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, वे न तो राजनीति के प्रकृत स्वरूप को ठीक समझ पाये हैं और न जाति के स्वरूप को। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा। अतः राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या विरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है।² राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठन का उपयोग करते हैं और जातियों के रूप में उनको बना-बनाया संगठन मिल जाता है जिससे राजनीतिक संगठन में आसानी होती है।

जाति व्यवस्था और राजनीति में अन्तःक्रिया के सन्दर्भ में प्रो. रजनी कोठारी ने जाति-प्रथा के तीन रूप प्रस्तुत किये हैं। (1) लौकिक रूप (The secular aspect), (ii) एकीकरण का रूप (The integration aspect), तथा (iii) चैतन्य रूप (The aspect of consciousness)।

(1) जाति व्यवस्था का लौकिक रूप—रजनी कोठारी ने जाति व्यवस्था के लौकिक रूप को व्यापक दृष्टि में देखने का प्रयत्न किया। जाति व्यवस्था की कुछ बातों पर सदा ध्यान गया है जैसे जाति के अन्दर विवाह, छुआछूत और रीति-रिवाजों के द्वारा जाति की पृथक् इकाई को कायम रखने का प्रयत्न। लेकिन इस बात की ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया है कि जातियों में आपसी प्रतिद्वन्द्वता एवं गुटबन्दी रहती है, प्रत्येक जाति प्रतिष्ठा और सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहती है। उदाहरण के लिए, आजकल बिहार में ऊँची जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच सत्ता प्राप्ति का अनवरत संघर्ष चल रहा है और यही कारण है कि जनता शासन के दौरान दोनों ही मुख्यमंत्री पिछड़ी और अनुसूचित जातियों से आये। जाति व्यवस्था के इस लौकिक पक्ष के दो रूप थे—एक शासकीय रूप यानि जाति की ओर गाँव की पचायत और चौधराहट। दूसरा रूप राजनीतिक था यानि जाति की आन्तरिक गुटबन्दी और अन्य जातियों से

1 “With the new context of Political democracy caste remains a central element of India's society while adopting itself to the values and methods of democratic politics. Indeed it has become one of the chief means by which the Indian mass has been attached to the process of democratic politics”
—Rudolphs

2 “By drawing the caste system into its web of organisation, politics finds material for its articulation and moulds it into its one design. In making politics their sphere of activity, Caste and Kin groups on the other hand, get a chance to assert their identity and to strive for position”
—Rajni Kothari . *Politics in India*, 1970, p. 225.

गठजोड़ और प्रतिद्वन्द्विता। इन संगठनों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता था कि स्थानीय नेताओं के समाज की केन्द्रस्थ सत्ता से किस प्रकार के सम्बन्ध थे। धर्म, व्यवसाय और प्रदेश के आधार पर इन जातियों की स्थिति बनती और बिगड़ती थी। पहले इन जातियों का सम्बन्ध जाति या गाँव की पंचायत और राजा या जमींदार से रहता था। अब जातीय पंचायतों के स्थान पर विधानसभाएँ और संसद हैं तथा राजा के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार है।

रजनी कोठारी का यह भी विचार है कि देश की राजनीति पर किसी एक जाति का प्राधान्य नहीं हो सका क्योंकि कुछ स्थानों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था तो कुछ प्रदेशों में जैसे गुजरात और मारवाड़ में जैन, वैष्णव जैसे सम्प्रदायों के हाथ में आर्थिक शक्ति थी।

(ii) जाति व्यवस्था का एकीकरण रूप—जाति का दूसरा रूप एकीकरण का है अर्थात् व्यक्ति को समाज से बाँधने का है। जाति प्रथा जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान नियत कर देती है। जाति के आधार पर ही उस व्यक्ति का व्यवसाय और आर्थिक भूमिका निश्चित हो जाती है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसका अपने समाज में लगाव पैदा हो जाता है, जाति के प्रति उसकी निष्ठा बढने लगती है। यही निष्ठा आगे चलकर बड़ी निष्ठाओं अर्थात् लोकतन्त्र और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भी विकसित हो सकती है। इस प्रकार जातियाँ जोड़ने वाली कटियाँ बन जाती हैं। लोकतन्त्र के अन्दर विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए प्रतिद्वन्द्विता होती है और विभिन्न जातियों में आपस में मिल-जुलकर गठजोड़ बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ताकि वे सत्ता का लाभ प्राप्त कर सकें।

(iii) जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप—जाति प्रथा का तीसरा रूप चेतना बोध है। कुछ जातियाँ अपने को उच्च समझती हैं और इस कारण समाज में उनकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। इस कारण कुछ निम्न समझी जाने वाली जातियाँ भी अपने को उनके साथ जोड़ने की चेष्टा करती हैं। क्षत्रिय वर्ण के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसके कारण देश के विभिन्न भागों में अनेक जातियों ने इस वर्ण का दावा किया है। कुछ जातियों में इसी प्रकार ब्राह्मण पद का भी दावा किया है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप जाति विशेष की स्थिति भी बदलती है। सामाजिक व्यवहार में अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग रूप धारण करने के कारण जाति व्यवस्था में लोच और परिवर्तनशीलता आ जाती है। इसके लिए चार मार्ग अपनाये जाते हैं। प्रथम, सस्कृतिकरण का तरीका है। सस्कृतिकरण में छोटी जातियाँ सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के रीति-रिवाजों की नकल करने लगती हैं। इसे ब्राह्मणीकरण भी कहा जाता है। द्वितीय, लौकिकीकरण या अब्राह्मणीकरण का तरीका है। आर्थिक उन्नति, राजनीतिक एकता और बुद्धिवाद की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के प्रभाव से अक्सर अब्राह्मण जातियाँ ब्राह्मणों की नकल करने की प्रवृत्ति को छोड़ देती हैं और अन्य अब्राह्मण जातियों से मिलकर राजनीतिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करती हैं। तृतीय, महापुरुषों से सम्बन्ध जोड़ने का तरीका है। कभी-कभी कतिपय जातियाँ अपनी उच्चता सिद्ध करने के लिए अपना सम्बन्ध पौराणिक पुरुषों से जोड़ने का प्रयत्न करती हैं। जैसे गुजरात के पाटीदार, बंगाल के महाष्यि और राजस्थान के जाट आदि। चतुर्थ, आधुनिक राजनीति में भी भागीदारी का तरीका है। कुछ जातियाँ सीधे ही आधुनिक राजनीति में भाग लेने लगी और इस प्रकार उन्होंने समाज में भी उच्च स्थिति प्राप्त की। आन्ध्र प्रदेश और बिहार इसके उदाहरण हैं।

प्रो. रजनी कोठारी ने जाति के राजनीतिकरण की चर्चा करते हुए कहा है कि 'इससे पुराना समाज नयी राजनीतिक व्यवस्था के करीब आया है।' इस प्रक्रिया को उन्होंने तीन चरणों में बाँटा है।

(i) शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा—ऊँची जातियों तक सीमित रही—भारत का पुराना समाज जब नयी व्यवस्था के सम्पर्क में आने लगा तो सबसे पहले शक्ति और प्रभाव की स्पर्धा समाज की प्रतिष्ठित और जमी हुई जातियों तक सीमित रही। जिन जातियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके आधुनिक बनने का प्रयत्न किया, वे प्रतिष्ठित जातियों के समक्ष आने लगीं। इन जातियों ने अधिकार और पद प्राप्त करने के लिए अपना राजनीतिक संगठन बनाया जिससे दो ऊँची जातियों में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वन्द्वता बढ़ने लगी। मद्रास और महाराष्ट्र में ब्राह्मण-अब्राह्मण; राजस्थान में राजपूत जाट, गुजरात में वनिया-ब्राह्मण-पाटीदार, आन्ध्र प्रदेश में कम्मा-रेड्डी और केरल में इजवा-नायर द्वन्द्व इसके उदाहरण हैं।

(ii) जाति के अन्दर की प्रतिस्पर्धा गुटबन्दी—इस चरण में भिन्न-भिन्न जातियों की प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ जाति के अन्दर भी प्रतिस्पर्धी गुट बन जाते हैं। प्रतिद्वन्द्वी नेताओं के पीछे गुट बन जाते हैं। इन गुटों में विभिन्न जातियों के लोग होते हैं। अपना गुट मजबूत करने के लिए उन जातियों की भी सहायता ली जाती है, जो अब तक दायरे से बाहर थीं। चुनाव में समर्थन प्राप्त करने के लिए नीची जातियों के प्रमुख लोगों को छोटे राजनीतिक पद और लाभ में कुछ हिस्सा देकर प्रतिस्पर्धी नेता अपना गुट मजबूत करने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ इस प्रकार मुखियों को इनाम और पद देकर इन जातियों का समर्थन प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ, वहाँ विभिन्न जातियों और उपजातियों में आपसी प्रतिस्पर्धा पैदा करके उनका संगठन बनाने की ओर उन संगठनों के मध्यस्थ या विचित्रियों द्वारा समझौता करने की कोशिश की गयी। इस चरण में पुराने ब्राह्मण और कायस्थ आदि प्रशामनिक जातियों के नेताओं के वजाय व्यवसायी और कृषक जातियों के नेताओं और कार्यकर्त्तियों की संख्या बढ़ी। ये नेता सौदा पटाने में कुशल थे, ज्यादा व्यावहारिक थे और अपने वर्ग और जाति के लोगों का नेतृत्व कर सकते थे।

(iii) जाति के बन्धन ढीले पड़ना और राजनीति की व्यापकता मिलना—रजनी कोठारी के अनुसार तीसरे चरण में एक ओर राजनीतिक मूल्यों की प्रधानता हुई और जाति-पाँति से लगाव कम हुआ, वहाँ दूसरी ओर शिक्षा, नये शिल्प और शहरीकरण के कारण समाज में परिवर्तन आया। भौतिक उन्नति की नयी धारणाओं का जोर बढ़ा। पुराने पारिवारिक बन्धन टूटने लगे और लोग काम-धन्धे के लिए शहरो में जाकर बसने लगे। जाति की भावना ढीली पड़ने लगी और सामाजिक व्यवहार अपनी जाति तक सीमित न रहा। राजनीति में भी व्यापकता आयी। नयी शिक्षा और नये सामाजिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाली नयी प्रवृत्तियाँ फैलने लगीं। राजनीतिक संस्थाओं का ढाँचा व्यापक होने लगा और जाति की भावना को नया रूप मिलने लगा। राजनीतिक प्रवृत्तियों ने नयी निष्ठाओं को जन्म दिया, जो पुरानी निष्ठाओं को काटती हैं। जाति अब राजनीतिक समर्थन या शक्ति का एकमात्र आधार नहीं रही, यद्यपि राजनीति में इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

प्रो. रजनी कोठारी का राजनीति में जाति सम्बन्धी निष्कर्ष इस प्रकार है :

(1) आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के कारण पहले तो जाति प्रथा पर पृथक्ता की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा, बाद में जाति भावना का सामंजस्य हुआ और इसने राजनीतिक संगठन में सहायता दी।

(2) आधुनिक राजनीति में भाग लेने से लोगों की दृष्टि में परिवर्तन हुआ और उनकी यह समझ में आ गया कि आज के युग में केवल जाति और सम्प्रदाय से काम नहीं चल सकता।

(3) जहाँ जाति बड़ी होती है, वहाँ भी उसमें एकता नहीं रहती, उसमें उप-जातियों के भेद होते हैं और छोटी जातियाँ तो अपने बल पर चुनाव भी नहीं जीत सकती हैं। यदि कोई

प्रत्याशी अपनी ही जाति का पक्ष लेता है तो दूसरी जातियाँ उनके खिलाफ हो जाती हैं इसलिए चुनाव की राजनीति में अनेक जातियों का गुट बनाना पड़ता है।

(4) राजनीति में आने के कारण जाति की भावना ढीली पड़ जाती है और अनेक नयी निष्ठाओं का उदय होता है।

(5) आजकल राजनीति में जातिवाद और सम्प्रदायवाद का जोर बढ़ने की शिकायत की जाती है। ऐसा समझा जाता है कि शिक्षा प्रसार, शहरों के विस्तार औद्योगीकरण के कारण सम्प्रदाय और जाति के बन्धन ढीले पड़ रहे थे, वे चुनाव की राजनीति के कारण फिर से जोर पकड़ रहे हैं और इससे देश में फूट बढ़ेगी जिसमें धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र का ढाँचा खतरे में पड़ जायेगा। किन्तु प्रो. कोठारी का मानना है कि वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं। वजाय राजनीति पर जाति के हावी होने के, जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। (It is not Politics that gets caste ridden, it is caste that gets Politicisation) राजनीति ने जाति को लीक से हटाकर नया सन्दर्भ दे दिया, जिससे उसका पुराना रूप बदल रहा है।

(6) आधुनिकतावादी नेता जाति-पाँति पर भले ही नाक-भौ मिकोड़े, परन्तु इसके द्वारा राजनीतिक शक्ति उन वर्गों या समूहों के हाथ में पहुँच सकी, जो अब तक उससे वंचित थे।

(7) जाति के आधार पर संघ और संगठन बनते हैं जैसे कायस्थ सभा, क्षत्रिय संघ आदि सब मिलाकर जातीय संगठनों ने भारत की राजनीति में वही भाग लिया है जो पश्चिमी देशों में विभिन्न हितों व वर्गों के संगठनों ने।

(8) जातियों और सम्प्रदायों के राजनीति में भाग लेने के फलस्वरूप सामूहिक या राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ है और उनकी पृथक्ता कम होकर उनका राजनीतिक एकीकरण हुआ है।

जाति और राजनीति में अन्तःक्रिया : सैद्धान्तिक आधार

(INTERACTIONS BETWEEN CASTE AND POLITICS .

THEORETICAL FRAMEWORK)

भारत में जाति और राजनीति में किस प्रकार का सम्बन्ध है ? इस सम्बन्ध में चार प्रकार से विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं :

सर्वप्रथम, यह कहा जाता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति की संरचना के आधार पर हुआ है और राजनीति केवल सामाजिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति मात्र है। सामाजिक संगठन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है।

द्वितीय, राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति नया रूप धारण कर रही है। लोकतान्त्रिक राजनीति के अन्तर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है जिससे सम्बद्ध पक्ष अपने लिए समर्थन जुटा सके तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सकें। जिस समाज में जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है उसमें यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि राजनीति इस संगठन के माध्यम से अपने आपको संगठित करने का प्रयास करे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिसे हम राजनीति में जातिवाद के नाम से पुकारते हैं वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है।

तृतीय, भारत में राजनीति 'जाति' के इर्द-गिर्द घूमती है। जाति प्रमुखतम राजनीतिक दल है। यदि मनुष्य राजनीति की दुनिया में ऊँचा उठना चाहता है तो उसे अपने साथ अपनी जाति को लेकर चलना होगा। भारत में राजनीतिज्ञ जातीय समुदायों को इसलिए संगठित करते हैं ताकि उनके समर्थन में उन्हें सत्ता तक पहुँचने में सहायता मिल सके।

चतुर्थ, जातियाँ संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती हैं और इस प्रकार जातिगत भारतीय समाज में जातियाँ ही 'राजनीतिक शक्तियाँ' बन गयी हैं।

जाति के राजनीतिकरण की विशेषताएँ (CHARACTERISTICS OF CASTE POLITICISATION)

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की उभरती विशेषताएँ निम्नवत् हैं :

प्रथम, जाति व्यक्ति को बाँधने वाली कड़ी है। जातीय संघों और जातीय पंचायतों ने जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया है। जाति-पाँति को समाप्त करने वाले आन्दोलन अन्ततोगत्वा नयी जातियों के रूप में मुखरित हुए जैसे लिगायत, कबीरपन्थी और सिक्ख आन्दोलन स्वयं नयी जातियाँ बन गये।

द्वितीय, शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण से जातियाँ नमस्त नहीं हुई अपितु उनमें एकीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला और उनकी राजनीतिक भूमिका में वृद्धि हुई।

तृतीय, राजनीति में प्रधान जाति (Dominant caste) की भूमिका का विश्लेषण किया जा सकता है। प्रधान जाति न केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ही शक्तिशाली होती है, वल्कि संख्या में भी गाँव या इलाके में ज्यादा होती है। प्रधान जाति अपने संख्या बल के आधार पर गाँव और क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं जैसे पंचायतों की राजनीति में सक्रिय होती है। यदि किसी राज्य विशेष में किसी जाति की प्रधानता होती है तो राज्य राजनीति में जाति एक प्रभावक तत्त्व बन जाती है। हरियाणा की राजनीति के बारे में डॉ. सुभाष काश्यप ने लिखा है—“हरियाणा में जाति और वर्ग की भावना को अपेक्षाकृत अधिक बल मिला है तथा हरियाणा के जन-जीवन में सदा ही 'जाति' राजनीतिक दल की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण रही है। गुडगाँव और महेन्द्रगढ़ क्षेत्रों के अहीर, अहीर उम्मीदवार को ही मत देना चाहेगा अन्य किसी को नहीं। यही बात राज्य के अन्य भागों के अन्य जाति के समूहों के बारे में लागू होती है। चुनावों के समय यहाँ अक्सर एक पुरजोर नारा सुनायी पड़ता है—'जाट की वेटी जाट को, जाट का वोट जाट को।' आश्चर्य की बात यह है कि जाति की यह छूत हिन्दुओं तक ही सीमित नहीं, मुसलमान भी उनकी गिरफ्त से नहीं बच सके।”¹

चतुर्थ, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही जातिगत समुदायों का झुकाव राजनीति की ओर हो गया था जबकि ब्रिटिश शासन ने भारत में एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली थी। सबसे पहले इसका ध्यान जनगणना कार्यालय की ओर गया जहाँ जातीय समुदायों ने सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त के ध्येय से अपने सगठन का नामकरण कराना आवश्यक समझा। बाद में अपनी जाति के लोगों के हितों को संरक्षण के लिए जातीय संघों ने प्रस्ताव पारित किये और शासन को अपनी माँगों के लिए प्रभावित करना प्रारम्भ किया। यहाँ तक कि कुछ जातियों ने शैक्षणिक सुविधा, शिक्षण संस्थाओं में जातिगत आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की माँग की। मद्रास की वेनियर (Venniyars) जाति के नेता पदायची (Padayachi) ने सी. राज-गोपालाचारी के मन्त्रिमण्डल में शामिल होने से इंकार कर दिया क्योंकि उन्होंने उनकी जातीय माँगों को मानने से इंकार कर दिया था। बाद में वे कामराज मन्त्रिमण्डल में शामिल हो गये क्योंकि उन्होंने वेनियरों की माँगों स्वीकार कर ली थी।

पंचम, निर्वाचनों के दिनों में जातिगत समुदाय प्रस्ताव पारित करके राजनीतिक नेताओं और दलों को अपने जातिगत समर्थन की घोषणा करके अपने हितों को मुखरित करते हैं।

¹ डॉ. सुभाष काश्यप . दल-बदल और राज्यों की राजनीति (मेरठ, 1970), पृ. 112-13।

षष्ठ, जाति की भूमिका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर उतनी नहीं है जितनी स्थानीय और राज्य राजनीति पर है।¹

सप्तम, जाति और राजनीति के सम्बन्ध स्थायिक न होकर गतिशील है।²

जाति के राजनीतिकरण का विवेचन (CASTE POLITICISATION · ANALYSIS)

जातिवाद का एक पक्ष यह है कि यदि कुछ जातियाँ या जाति के लोग मिलकर कोई रचनात्मक कार्य जैसे स्कूल या कॉलेज खोलना, अस्पताल, धर्मशालाएँ, मन्दिर, गुरुद्वारे आदि बनवाना, निर्धनों को आर्थिक सहायता देना आदि करते हैं तो उससे न तो किसी को हैरानी या परेशानी होगी और न कोई विद्वेष की भावना ही फैलती है। किन्तु जब कुछ जातियाँ या जाति के लोग मिलकर अन्य जाति को परेशान अथवा संवस्त करते हैं तो स्थिति भयावह अवश्य बन जाती है। आजकल प्रायः यही हो रहा है। अच्छे प्रतिभाशाली लोग केवल इसी आधार पर उपेक्षित रहते हैं कि वे किसी जाति विशेष के नहीं होते। जातियों के नाम से चलने वाली सस्था में से बहुत ही कम ऐसी होती है जो पक्षपात शून्य होती है, बाकी सभी में यह विषय इस प्रकार घोला जाता है कि अच्छी प्रतिभाओं का विकास रुक जाता है। जातिवाद अथवा भारत में जातियों का होना यदि वास्तव में एक सामाजिक बुराई है तो उसे अभी दूर क्यों नहीं किया गया? छुआछूत मिटाने के लिए यदि कानून बन सकता है तो जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अभी तक कानून क्यों नहीं बना? यह सहज ही शंका का विषय बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे राजनीतिज्ञ ऊपर से 'जाति तोड़ो' सम्मेलन करते हैं किन्तु अन्तरंग से जातीयता को बढ़ावा देते हैं। जातिवाद के कारण अनेक ऐसे सध बन गये हैं जिनमें काफी पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं। शोषित संघ तो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों का एक संघ है ही। इधर एक नाम 'दलित पैथर' भी मुनाई पड़ने लगा है। दलित का अर्थ है रौंदा, कुचला अथवा संवस्त। जबकि पैथर अंग्रेजी का शब्द है जो चीता अथवा तेंदुआ के लिए प्रयुक्त होता है। यह संगठन उग्रवादी अनुसूचित जातियों व आदिवासियों का संगठन है जो मूल रूप से जातीय आधार पर संगठित किया गया है। इसी प्रकार जाटों, गूजरो, अहीरो, वैश्यो आदि के भी अनेक संगठन हैं जिनका मुख्य आधार जाति ही है। ब्राह्मणों के कई वर्ग हैं। कान्यकुब्ज, गौड़, मैथिल, दक्षिणात्य आदि। इनकी भी अनेक सभाएँ व संगठन हैं जो भारतीय व प्रादेशिक आधार पर बनाये गये हैं—जैसे अखिल भारतीय कान्य कुब्ज सभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा आदि। इन सभाओं का मूल ध्येय जातीय भावनाओं को उकसाना है। जातीय संगठन और जातीय नेता राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों से सँठि-गाँठ करके जाति का राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में आये दिन जातीय झगड़ों, तनावों और संघर्षों में जाति और राजनीति की अन्तःक्रिया ही दिखायी देती है।

भारतीय राजनीति में 'जाति' की भूमिका (ROLE OF 'CASTE' IN INDIAN POLITICS)

जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि 'जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है।' हेरल्ड गौल्ड के शब्दों में, 'राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्त्व है।'

¹ "Caste plays a major role in state and local politics but it is marginal at the all India level."
—Michael Brecher : *Succession in India* (London), p. 230.

² J. C. Johari, *Reflection on Indian Politics* (New Delhi 1974), p. 71.

जाति-व्यवस्था भारतीय समाज का परम्परागत पक्ष है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभावों ने भारतीय समाज में धीरे-धीरे प्रवेश करना आरम्भ कर दिया। आधुनिक प्रभावों के फलस्वरूप वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रारम्भ हुए और जातिगत संस्थाएँ यकायक महत्त्वपूर्ण बन गयीं क्योंकि उनके पास भारी संख्या में मत थे और लोकतन्त्र में सत्ता प्राप्ति हेतु इन मतों का मूल्य था। जिन्हें सत्ता की आकांक्षा थी उन्हें सामान्य जनता के पास पहुँचने के लिए सम्पर्क सूत्र की भी आवश्यकता थी। सामान्य जनता को अपने पक्ष में मिलाने के लिए यह भी जरूरी था कि उनसे उस भाषा में बात की जाय जो उनकी समझ में आ सके। जाति-व्यवस्था इस बात को प्रकट करती थी। इस पृष्ठभूमि में जाति की भूमिका राजनीति में अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होती गयी। भारतीय राजनीति में 'जाति' की भूमिका का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है

(1) निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावक भूमिका (Influential Role of Caste in Decision-making Process)—भारत में जातियाँ सगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। उदाहरणार्थ, संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान रखे गये हैं जिनके कारण ये जातियाँ सगठित होकर सरकार पर दबाव डालती हैं कि इन सुविधाओं को और अधिक वर्षों के लिए अर्थात् जनवरी 2000 तक के लिए बढ़ा दिया जाय। अन्य जातियाँ चाहती हैं कि आरक्षण समाप्त किया जाय अथवा इसका आधार सामाजिक-आर्थिक स्थिति हो अथवा उन्हें आरक्षित सूची में शामिल किया जाय ताकि वे इसके लाभ से वञ्चित न रह जायें।

(2) राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय (Caste-oriented decisions at the level of Political Parties)—भारत में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनीत करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण करते हैं। 1962 में गुजरात के चुनाव में स्वतन्त्र पार्टी की सफलता का राज उसका धनिय जाति के समर्थन में छिपा हुआ था। हरिजन-मुसलमान-ब्राह्मण शक्तिपुंज बनाकर ही 1971 का आम चुनाव कांग्रेस ने जीता था। 1977 में जनता पार्टी की विजय का कारण उसे मुसलमानों और हरिजनों के साथ उच्च जातियों का प्राप्त समर्थन था। जनवरी 1980 के सप्तम लोकसभा चुनावों में कांग्रेस (इन्दिरा) की विजय का कारण है कि श्रीमती गांधी हरिजनों, ब्राह्मणों और मुसलमानों का जातीय समर्थन जुटाने में सफल हो गयी।¹ नवम्बर 1989 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता दल की अपूर्व विजय का एक कारण जाट-राजपूत समर्थन है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का उदय और आधार कतिपय पिछड़ी जातियों के समर्थन पर निर्भर है। कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में जातीय आधार पर अनेक गुट पाये जाते हैं जिनमें प्रतिस्पर्द्धा की भावना विद्यमान रहती है।

(3) जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार (Caste-oriented voting behaviour)—भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है और प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्रायः उकसाया जाता है ताकि सम्बन्धित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके।

¹ "In fact Mrs. Gandhi succeeded gradually in building the electoral coalition which brought her to power in 1971 Muslims, harjans, brahmins plus that 'Charisma' vote which should, better be called the "trust" vote"—Babu Lal Fadia *Pressure Groups in Indian Politics* (Radiant Publishers, New Delhi, 1980), Chapter 9.

जनवरी 1980 के चुनावों में उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार के हिस्सों में लोकदल की सफलता पिछड़ी जातियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में चरण-सिंह की सफलता मदद ही जाति के मतों की एकजुटता पर निर्भर रही है। केरल के चुनावों में साम्यवादी और मार्क्सवादी दलों ने भी नोट जुटाने के लिए सदैव जाति का सहारा लिया है।

(4) मन्त्रिमण्डलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व (Caste representation in the Ministry making)—राजनीतिक जीवन में जातीयता का सिद्धान्त इतना गहरा धँस गया है कि राज्यों के मन्त्रिमण्डल में प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए। यह सिद्धान्त प्रान्तों की राजधानियों से ग्राम पंचायतों तक स्वीकृत हो गया कि प्रत्येक स्तर पर प्रधान जाति को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। यहाँ तक कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में भी हरिजनो, जनजातियों, सिक्खों, मुसलमानों, ब्राह्मणों, जाटों, राजपूतों और कायस्थों को किसी न किसी रूप में स्थान अवश्य दिया जाता है।

(5) जातिगत दबाव समूह (Caste as Pressure Groups)—मेयर के अनुसार, “जातीय संगठन राजनीतिक महत्त्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हैं।” जातिगत दबाव समूह अपने न्यस्त स्वार्थों एवं हितों की पूर्ति के लिए नीति-निर्माताओं को जिम ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं उससे तो उनकी तुलना यूरोप और अमरीका में पाये जाने वाले ऐच्छिक समुदायों में की जा सकती है।¹

अनेक जातीय संगठन और समुदाय जैसे तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, गुजरात में क्षत्रिय महासभा, बिहार में कायस्थ सभा आदि राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगते हैं और अपने-अपने संगठित बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी भी करते हैं। यद्यपि देश की सभी प्रमुख जातियों को इस प्रकार पूर्णतया संगठित नहीं किया जा सका है। मगर जो जातियाँ इस प्रकार संगठित नहीं हो सकी, वे राजनीतिक सौदेबाजी में सफल नहीं रही और उनके सदस्यों को अपनी आवाज उठाने के लिए उपद्रव और तोड़-फोड़ का सहारा लेना पड़ा।²

(6) जाति एवं प्रशासन (Caste and Administration)—लोकसभा और विधान-सभाओं के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है केन्द्र एवं राज्यों की सरकारी नौकरियों एवं पदोन्नति के लिए जातिगत आरक्षण का प्रावधान है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थी की भरती हेतु आरक्षण के प्रावधान मौजूद हैं। चरणसिंह सरकार ने तो अल्पकाल में एक अध्यादेश के माध्यम से पिछड़ी जातियों के लिए केन्द्रीय सरकार की सेवा में आरक्षण व्यवस्था घोषित करने की मंशा प्रकट की और इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी ताक में रख दिया। यदि यह अध्यादेश लागू हो जाता तो मध्यम जातियों जैसे अहीर, यादव, कुर्मी आदि को भी आरक्षण के अवसर मिल जाते। ऐसा भी माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते समय अथवा निर्णयों के क्रियान्वयन में प्रधान और प्रतिष्ठित अथवा संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं।

¹ “Thus Political articulation of Caste resembles many ways those of the European and American voluntary association and interest groups for simple reason that caste association and group assume a Political Complexion when they turn to the state for productions and furtherance of interest.” —J. C. Johari : *Ibid.*, p. 73.

² आश्चर्य नहीं कि पश्चिम बंगाल तथा बड़े नगरों में उपद्रव और तोड़-फोड़ की राजनीति का ज्यादा जोर रहा है। वनिस्पत् उन राज्यों के जहाँ जाति के आधार पर राजनीतिक गुट या गैठजोड़ बने हैं।

(7) राज्य राजनीति में जाति (Caste in State Politics)—मार्किन्स ब्रेचर के अनुसार अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है। यद्यपि किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभावों में अछूती नहीं रही है तथापि बिहार, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों की राजनीति का अध्ययन तो बिना जातिगत गणित के विश्लेषण के कर ही नहीं सकते। बिहार की राजनीति में राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और जनजाति प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी जातियाँ हैं। पृथक् झारखण्ड राज्य की माँग वस्तुतः एक जातीय माँग ही रही है। केरल में साम्यवादियों की सफलता का राज यह है कि उन्होंने 'उज्जाह्रा' जाति को अपने पीछे संगठित कर लिया। आन्ध्र प्रदेश की राजनीति काम्मा और रङ्गी जातियों के संघर्ष की कहानी है। काम्माओं ने साम्यवादी दल का समर्थन किया तो रेङ्गी जाति ने कांग्रेस दल का। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठों, ब्राह्मणों और महरो में प्रतिस्पर्द्धा रही है। गुजरात की राजनीति में दो ही जातियाँ प्रभावी हैं—पाटीदार और श्रविय। केरल की राजनीति अपने तीन समुदायों के इर्द-गिर्द घूमती रही है—हिन्दू, क्रिश्चियन और मुसलमान। केरल की राजनीति में अन्तिम दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के रूप में सक्रिय हैं। कहने को तो वहाँ सभी प्रकार के राजनीतिक दल हैं, किन्तु उन्हें ध्यानपूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि वे सब जातीय संगठन हैं। मुस्लिम लीग मुसलमानों की है, दोनों केरल कांग्रेस के अधिमन्य मदस्य ईमाई हैं। रा. प्रा. मी. नायर लोगों की संस्था है। कांग्रेस (ड) और दोनों साम्यवादी दलों में एजवा जाति के अलावा हिन्दुओं के कुछ प्रमुख वर्गों का प्रभाव देखा जा सकता है। राजस्थान की राजनीति में जाट-राजपूत जातियों की प्रतिस्पर्द्धा प्रमुख रही है। संक्षेप में राज्यों की राजनीति में 'जाति' का प्रभाव इतना अधिक प्रतीत हो रहा है कि टिंकर जैसे विद्वानों ने 'राज्यों की राजनीति' को 'जातियों की राजनीति' की सजा दे डाली है।¹

भारत में राज्य राजनीति के कतिपय अध्ययनकर्त्ताओं के अनुसार विभिन्न राज्यों में जाति के चार विभिन्न स्वरूप विकसित हुए हैं

(1) जातिवाद का पहला स्वरूप दक्षिणी भारत और विशेषकर तमिलनाडु में मिलता है जहाँ ब्राह्मणों और अनेक निम्न जातियों के बीच गम्भीर संघर्ष रहा है। तमिलनाडु में आरम्भ से ही राजनीति पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा और इसके विरुद्ध काफी दिनों से आन्दोलन चलता रहा जिसके परिणामस्वरूप रामास्वामी नायकर द्वारा द्राविड कङ्गम नामक संगठन की स्थापना की गयी जो बाद में द्रविड़ मुनेत्र कङ्गम दल के रूप में विकसित हुआ। तमिलनाडु में यह आन्दोलन ब्राह्मणों को उच्च स्थानों से हटाने के लिए था। सन् 1914 से यह ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन शुरू हुआ और 1916 में एक पृथक् राजनीतिक दल 'जस्टिस पार्टी' के नाम से स्थापित हुआ जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण जातियों के हितों को विकसित तथा सुरक्षित करना था। इस संगठन का उद्देश्य सरकार का समर्थन प्राप्त करके प्रशासन और स्थानीय निकायों यहाँ तक कि शिक्षा संस्थाओं में गैर-ब्राह्मण जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करना था। 1922 में सरकार द्वारा लोक सेवाओं में निर्धारित किये गये कोटे गैर-ब्राह्मण जातियों के लिए लगभग 42% और ब्राह्मण जाति के लिए 16% स्थान निर्धारित किये गये। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि ब्रिटिश काल में ही गैर-ब्राह्मण जातियाँ ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन में बड़ी हद तक सफल हुईं। 1949 में यह आन्दोलन सी. एन. अन्नादुराई के नेतृत्व में डी. एम. के. के अधीन शुरू हुआ। ब्राह्मण विरोधी भावना के राजनीतिक महत्त्व को दृष्टि में रखते हुए अन्य राजनीतिक दल भी जाति युद्ध में

¹ " ..State Politics will be Caste Politics throughout most of India for many years to come "

संलग्न रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजगोपालचारी (जो एक ब्राह्मण थे) के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए कामराज नाडार को राजनीति में ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया गया। संक्षेप में, स्वतन्त्रता से पहले और स्वतन्त्रता के बाद तमिलनाडु में ब्राह्मण और निम्न जातियों के बीच घोर टकराव रहा और इस संघर्ष में ब्राह्मणों को पराजित होना पड़ा।

(2) जातिवाद का दूसरा रूप महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की राजनीति तमिलनाडु से कुछ भिन्न रही है, यद्यपि यहाँ मराठा और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष रहा और इस संघर्ष में मराठा जाति ने ब्राह्मणों के शताब्दियों में चले आने वाले प्रभुत्व का अन्त किया। बीसवीं शताब्दी की दूसरी चौथाई में राजनीतिक दलों में भी ब्राह्मणों का आधिपत्य था, उदाहरण के लिए तिमक, गोखले गोलवालकर एस. एन. डाँगे आदि ब्राह्मण थे। स्वतन्त्रता के बाद मराठा जाति ने ब्राह्मणों को पराजित कर दिया और यह आन्दोलन 1960 में अपनी पूर्णता को पहुँच गया जब महाराष्ट्र नामक एक पृथक् राज्य की स्थापना की गयी और मराठा जाति को राजनीति में पूर्ण प्रधानता प्राप्त हुई। इस नये महाराष्ट्र राज्य में मराठा जाति की संख्या 45% थी। ए. जे. दस्तूर के शब्दों में, “जिस दिन महाराष्ट्र का निर्माण हुआ उस दिन से इस राज्य के राजनीतिक विशिष्ट वर्ग और राजनीतिक नेतृत्व में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण और मौलिक परिवर्तन हुए।” सत्ता प्रभाव और शक्ति ब्राह्मणों के हाथों से निकलकर मराठों के हाथों में पहुँच गयी।”

(3) गुजरात, आन्ध्र और कर्नाटक जातिवाद का तीसरा प्रतिनिधि रूप प्रस्तुत करता है। इन तीनों ही राज्यों में तीन मध्यमवर्गीय जातियाँ राजनीतिक संघर्ष में रत दिखायी देती हैं। आन्ध्र में यह टकराव कम्मा और रेड्डी जातियों के बीच पाया जाता है। 1934 में आन्ध्र में माम्मवादी दल की स्थापना के बाद से इस दल का नेतृत्व कम्मा जाति के हाथों में रहा जबकि कांग्रेस पार्टी में रेड्डी जाति का प्रभुत्व रहा। कर्नाटक में यह विरोध लिंगायत तथा ओकोलीगा जातियों के बीच पाया जाता है। गुजरात में पाटीदार और क्षत्रिय जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा पायी जाती है। इन तीनों राज्यों (आन्ध्र, कर्नाटक और गुजरात) में यह विशेषताएँ दिखायी देती हैं कि इन राज्यों में राजनीतिक क्षेत्र में केवल दो जातियों का प्रभुत्व है जो अपनी प्रथाओं, सामाजिक स्थिति और सामाजिक-आर्थिक साधनों की दृष्टि से एक-दूसरे से बहुत मिलती-जुलती हैं। दूसरे शब्दों में तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जहाँ असमान जातियों के बीच टकराव पाया जाता है, वहाँ इन राज्यों में, यह प्रतिस्पर्धा लगभग दो समान जातियों के बीच पायी जाती है।

(4) बिहार की स्थिति उपरोक्त राज्यों से भिन्न है। यहाँ उच्च जातियों-ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और कायस्थ अब भी सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों के धारक हैं और उनके बीच राजनीतिक प्रतियोगिता पायी जाती है। निम्न जातियाँ अब भी पिछड़ी स्थिति में हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी राजनीति पर उच्च जातियों का एकाधिकार है और निम्न जातियाँ उभरने का प्रयत्न कर रही हैं। अतः इन राज्यों में राजनीतिक प्रतियोगिता उच्च जाति के बीच है और कोई भी एक जाति अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की स्थिति में नहीं है।

जाति की भूमिका : वरदान या अभिशाप

(THE ROLE OF CASTE : BLESSING OR A CURSE)

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यन्त कठिन कार्य है। कई लोग जाति को राजनीति का केन्सर मानते हैं। जाति प्रथा को राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्तियों में पृथक्तावाद की भावना जाग्रत होती है। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने जातिगत हितों को अधिक महत्त्व देने लगते हैं। जाति निष्ठाओं का सृजन कर यह प्रथा लोकतन्त्र के विकास मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। डी. आर. गाडगिल के अनुसार,

क्षेत्रीय दंगलों से कहीं ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों की एकता के मूल में बाधने से बाधक मिट्टी हुई।' प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम. एन. श्रीनिवास का स्पष्ट मत है कि परम्परावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक संस्थाएँ अपने मूलरूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रही हैं।

हमारी तरफ अमरीकी लेखकों रुडाल्फ एण्ड रुडाल्फ का मत है कि जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परम्परावादी व्यवस्था को आधुनिकता में ढालने के सन्ने का कार्य किया है। वे लिखते हैं, 'अपने परिवर्तित रूप में जाति व्यवस्था ने भारत में कृषक समाज में प्रतिनिधिक लोकतन्त्र की सफलता तथा भारतीयों की आपसी दूरी कम करके, उन्हें अधिक समान बनाकर सम्मानता के विकास में सहायता दी है।'¹

संक्षेप में, चाहे जाति आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक न हो तथापि राजनीति में जाति का हस्तक्षेप लोकतन्त्र की धारणा के प्रतिकूल है। जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है। विविधता की सीमाएँ होती हैं। इस देश में इतनी जातियाँ, उपजातियाँ तथा सह-जातियाँ हैं तो सही है कि वे एक-दूसरे से पृथक् रहने में ही अपने-अपने अस्तित्व की रक्षा समझती हैं। यह पृथक्तावादी दृष्टि राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यधिक घातक है।

¹ लायड आई. रुडाल्फ एण्ड एस. हावर रुडाल्फ, दि माडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन (ओरियण्ट लांगमैन 1969), पृ. 11।